संख्याः— 824/एक—10—2021—33(221)/2011 टीसी—3

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी एवं बरेली।

राजस्व अनुभाग—10 लखनऊ : दिनांकः 10 अप्रैल, 2021

विषयः—करोना वायरस के द्वितीय लहर के दृष्टिगत अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट आदि कय करने के लिये धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि करोना वायरस के द्वितीय लहर के दृष्टिगत प्रदेश के उक्त सबसे अधिक प्रभावित जनपदों में कोविड—19 के नियंत्रण हेतु कोविड जांच, सैम्पल कलेक्शन के लिये कन्ज्युमेबिल्स, चेकिंग, स्कीनिंग, कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग हेतु समस्त व्यवस्थायें, परीक्षण हेतु स्थापित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रयोगशाला, कन्ज्युमेबिल्स एवं टेस्टिंग किट, पीपीई किट, थर्मल स्कैनर, एअर प्यूरीफायर, ऑक्सीजन जनरेशन व स्टोरिंग प्लान्ट, रोगियों हेतु एम्बुलेन्स सेवा, कन्टेनमेण्ट जोन, कोविड—19 हास्पिटल, कोविड—19 केअर सेण्टर की स्थापना एवं राजकीय चिकित्सालयों में अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्युमेबिल्स आदि कय करने के लिये निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2021—22 में रू0 8,50,00,000/— **(रूपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अग्रिम रूप से जनपद के जिलाधिकारी गणों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृत प्रदान करते हैं:—

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	लखनऊ	200.00
2	प्रयागराज	100.00
3	वाराणसी	100.00
4	कानपुरनगर	100.00
5	गौतमबुद्धनगर	50.00
6	मेरठ	50.00
7	गाजियाबाद	50.00
8	गोरखपुर	100.00

9	झांसी	50.00
10	बरेली	50.00
	योग–	850.00

(रूपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उपरोक्त धनराशि से मात्र वही उपकरण/मेडिकल संबंधी कन्ज्युमेबिल्स क्रय किये जायें, जो आवश्यक हों तथा जिनकी आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग से या तो न हो पा रही हो या पर्याप्त मात्रा में न हो पा रही हो। उपकरणों/ मेडिकल संबंधी कन्ज्युमेबिल्स का क्रय वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही किया जाना सुनिश्चित करें। इस धनराशि का उपयोग प्रचार प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।

(3) जो भी उपकरण क्रय किये जायेंगे उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 भी करायी जायेंगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1– 11–2013–रा0–11, दिनांक 04ण03ण2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत– 05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–10–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्याः–824(1)/एक–10–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।